न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04/2009

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, आबूरोड ।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी ए–123 रिको कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।

निर्णय

दिनांक 03.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2009 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं हमराह प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा आबूरोड के रिको कॉलोनी में स्थित मकान नम्बर ए–123 की जॉच करने पहुॅचने पर मकान मे 14.2 किलो के 21 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से करने से उक्त 26 गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 13.04.2009 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं हमराह प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड को रिको कॉलोनी आबूरोड के मकान नम्बर ए–123 पर पहुंचने पर मकान में स्थित गाडी गेराज में 5 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर जिसे गाडियों में गैस भरने का कार्य किया जाता था। गैराज की तलाशी लेने के बाद अन्य की तलाशी लेने के दौरान अप्रार्थी के मकान की छत पर खुले में 20 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाए गए। अप्रार्थी से उपरोक्त 26 गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं मोटर बारे में पूछताछ की तो अप्रार्थी द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इससे पूर्व भी दिनांक 17.09.2006 को भी अप्रार्थी के पास से 51 गैस सिलेण्डर व तीन अवैध गैस भरने की मशीन जब्त की गई थी जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस कोतवाली आबूरोड में दर्ज कराई गई। गेराज की तलाशी लेने पर गैस सिलेण्डर तथा गैस भरने की मशीन पाए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गेराज में गाडियों में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस भरने का कार्य किया जाता है, जो स्पष्टतया एल.पी.जी. गैस आर्डर के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाने पर उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित गैस सिलेण्डरों तथा गैस भरने की मशीन को जब्त सरकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अनाधिकृत रूप से गाडियों में गैस भरने का कार्य किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पूर्व में उनको कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

मैने प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो एवं व्यावसायिक सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से गाडियों में गैस सिलेण्डरों से गैस भरने का कार्य किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 21 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं पांच व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं गैस भरने की मशीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त 21 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं पांच व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त दोनों गैस सिलेण्ड़रों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner